



उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

विद्युत नियामक भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ 226010 Phone 2720426 Fax 2720423 E-mail secretary@uperc.org

शैलेन्द्र गौर
सचिव

पत्र संख्या — यूपीईआरसी / सचिव / 2023 / 1190
दिनांक: 17 / 11 / 2023

प्रेषक,

सचिव

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
विद्युत नियामक भवन, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव

ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
बापू भवन, सचिवालय
लखनऊ

विषय: उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग (आर0एस0पी0वी0 / नेट मीटरिंग) विनियमावली, 2019 (द्वितीय संशोधन) राजपत्र में प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग (आर0एस0पी0वी0 / नेट मीटरिंग) विनियमावली, 2019 (द्वितीय संशोधन) का गठन किया है।

उक्त विनियमावली के आलेख्य की एक हिन्दी व एक अंग्रेजी की हार्ड कापी तथा एक सी0डी0 में दोनों भाषाओं में साफ्ट कापी आपको विधिवत अग्रेतर कार्यवाही हेतु (जिसमें धारा 182 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही भी शामिल है) इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया इनको असाधारण गजट (विधायी परिशिष्ट में नहीं) में प्रकाशित करने तथा मुद्रित विनियमावली की 100-100 हिन्दी व अंग्रेजी प्रतियाँ आयोग के तथा 900 हिन्दी व 50 अंग्रेजी प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने के लिये राजकीय मुद्रणालय, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,


(शैलेन्द्र गौर)
सचिव
o/c 

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Notification No:- UPERC/Secretary/RSPV Regulations/002

Dated 17/11/2023

In exercise of the power conferred on it by Sections 61, 86(1)(e) and 181 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission has made UPERC (Rooftop Solar PV Grid Interactive System Gross/ Net Metering) Regulation 2019, which were published vide notification no. UPERC/Secretary/RSPV Regulations/434(A) dated 04.01.2019.

And whereas, UPERC (Rooftop Solar PV Grid Interactive System Gross/ Net Metering) Regulation, 2019 (First Amendment / Addendum) were published vide notification no. U.P.E.R.C./Secretary/RSPV Regulations/118, dated June 01, 2022.

And whereas, the Government of Uttar Pradesh has framed UP Solar Policy 2022, which has to remain in operation for a period of five (5) years or till the Government notifies the new policy. In view of the UP Solar Policy 2022, Uttar Pradesh Electricity Regulation Commission, now in exercise of its power conferred under sections 61, 86 (1) (e) and 181 of Electricity Act, 2003 and clause 17 of the aforesaid Regulation i.e. Power to Amend and all other enabling powers hereby makes the following amendments, namely:

1. Short Title and Commencement-

- These Regulations shall be called UPERC (Rooftop Solar PV Grid Interactive System Gross/ Net Metering) Regulation, 2019 **(Second Amendment)** hereinafter referred to as RSPV Regulation, 2019) **(Second Amendment)**.
- These Regulations shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette of the State.

2. AMENDMENTS

Regulation No.	Existing Regulation	Amended Regulations
Definitions and Interpretations	2.k) iii)Net Metering Scheme means the metered prosumers of a Licensee under agriculture (LMV-5) category or domestic consumers under LMV-1 category, who intends to/ has set up a grid connected rooftop solar PV system in the consumer premises, which can be self-owned or third party owned wherein the energy imported from the grid and the energy exported to the grid interactive rooftop solar PV system are netted out through single bi-directional energy meter.	2.k) iii)Net Metering Scheme means the metered prosumers of a Licensee under agriculture (LMV-5) category or domestic consumers under LMV-1 category who intends to/ has set up a grid connected rooftop solar PV system in the consumer premises, which can be self-owned or third party owned wherein the energy imported from the grid and the energy exported to the grid interactive rooftop solar PV system are netted out through single bi-directional energy meter. Net metering scheme shall also be available to following consumer categories mentioned in Rate Schedule for FY 2023-24 in Tariff Orders dated 24 May 2023 of Distribution Licensees (MVVNL, PVVNL, PuVVNL, DVVNL, KESCO & NPCL). (I) All Public Institutions covered under LMV-4A consumer category of the Rate Schedule except such consumers

amail

		which are covered under LMV-4A(c) as provided in the Rate Schedule. (II) Private research institutes, and schools / colleges / educational institutes covered under Private Institutions under LMV-4B consumer category of the Rate Schedule (III) Public Institutions akin and similar to those mentioned in (I) above but covered under HV-1 consumer category of Rate Schedule. (IV) Private Institutions akin and similar to those mentioned in (II) above but covered under HV-1 consumer category of Rate Schedule.
	2.t) "Net Metering" means an arrangement for measurement of energy in a system under which rooftop solar PV system installed at metered agriculture (under LMV-5 category) or metered residential/ domestic consumer premises (under LMV-1 category) delivers surplus electricity, if any, to the Distribution Licensee after off-setting the electricity supplied by Distribution License during the applicable billing period.	2.t) "Net Metering" means an arrangement for measurement of energy in a system under which rooftop solar PV system installed at eligible consumer's premises (as given at 2.k iii)) delivers surplus electricity, if any, to the Distribution Licensee after off-setting the electricity supplied by Distribution License during the applicable billing period.

By the Order of the Commission,



SHAIENDRA GAUR,
Secretary

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
अधिसूचना संख्या:- यूपीईआरसी / सचिव / आर एस पी वी विनियमावली / 002
दिनांक 17/11/2023

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धाराएं 61, 86(1) (इ) और 181 द्वारा प्रदत्त और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने (रूफटॉप सोलर पी वी ग्रिड पारस्परिक प्रणालियाँ सकल / शुद्ध मापन) विनियमावली 2019 बनाई है जिसका प्रकाशन अधिसूचना संख्या यूपीईआरसी / सेक्रेटरी / आर एस पी वी विनियमावली / 434 (ए) दिनांक 04.01.2019 के द्वारा किया गया।

और चूंकि यूपीईआरसी (रूफटॉप सोलर पी वी ग्रिड पारस्परिक प्रणालियाँ सकल / शुद्ध मापन) विनियमावली 2019 (प्रथम संशोधन / संशोधन) अधिसूचना संख्या: यू पी ई आर सी / सेक्रेटरी / आर एस पी वी विनियमावली / 118, दिनांक 01 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

और चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 का निर्माण किया है जो कि (5) वर्ष तक या जब तक सरकार नई नीति अधिसूचित न करे, लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग अब विद्युत अधिनियम 2003 की धाराएं 61, 86(1) (इ) और 181 और उपर्युक्त विनियमावली के खंड 17 अर्थात् संशोधन करने की शक्ति और अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:

I. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (क) यह विनियमावली यू पी ई आर सी (रूफटॉप सोलर पी वी ग्रिड पारस्परिक प्रणालियाँ सकल / शुद्ध मापन) विनियमावली 2019 (द्वितीय संशोधन) कही जाएगी जिसे आगे आर एस पी वी विनियमावली, 2019, (द्वितीय संशोधन) कहा जायेगा।
- (ख) यह विनियमावली राज्य के सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

II. संशोधन

विनियम संख्या	विद्यमान विनियम	संशोधित विनियम
परिभाषाएँ और व्याख्याएँ	2(ह) शुद्ध बिलिंग योजना का उद्देश्य अनुज्ञापतिधारी के मीटरयुक्त उपभोक्ता से है जो कृषि श्रेणी (एलएमवी 5) अथवा एलएमवी 1 श्रेणी का घरेलू उपभोक्ता है, जो	2(ह) सक्षम उपभोक्ता का तात्पर्य- iii) शुद्ध बिलिंग योजना का तात्पर्य अनुज्ञापतिधारी के मीटर्ड प्रोज्यूमर से है जो कृषि श्रेणी (एलएमवी-5) अथवा एलएमवी-1 श्रेणी का घरेलू उपभोक्ता है, जो उपभोक्ता परिसर में जो कि स्व स्वामित्व अथवा

anay

	उपभोक्ता परिसर में है और उसका स्व-स्वामित्व अथवा तीसरे पक्ष के स्वामित्व में हो सकता है, मुख्य ग्रिड से संबंध रूफटॉप सोलर पीवी पद्धति स्थापित करने का इच्छुक/स्थापित कर चुका है जिसका ग्रिड से आयातित ऊर्जा एवं ग्रिड से संबंध छत पर सोलर पीवी पद्धति को निर्यात किया जाता है ऊर्जा को एकल द्विदिशात्मक ऊर्जा मीटर के माध्यम से निवल किया जाता है	तीसरे पक्ष के स्वामित्व में हो सकता है, में ग्रिड से सम्बद्ध रूफटॉप सोलर पीवी पद्धति स्थापित करने का इच्छुक / स्थापित कर चुका है, जिसमें ग्रिड से आयातित ऊर्जा एवं ग्रिड से संबद्ध रूफटॉप सोलर पीवी पद्धति को निर्यातित ऊर्जा को एकल दिव्-दिशात्मक ऊर्जा मीटर के माध्यम से निवल किया जाता है। शुद्ध मापन योजना वितरण लाइसेंसधारियों (मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, केस्को और एनपीसीएल) के टैरिफ आदेशों दिनांक 24 मई 2023 में वितीय वर्ष 2023-24 के लिए दर अनुसूची में उल्लिखित निम्नलिखित उपभोक्ता श्रेणियों के लिए भी उपलब्ध होगी। (i) दर अनुसूची की एलएमवी-4ए उपभोक्ता श्रेणी में आने वाली सभी लोक संस्थाएं। इसमें वे उपभोक्ता सम्मिलित नहीं हैं जो दर अनुसूची में दिए गए एल एम वी-4ए (सी) में आते हैं। (ii) दर अनुसूची की एल एम वी-4बी उपभोक्ता श्रेणी में आने वाले निजी संस्थानों के अन्तर्गत निजी शोध संस्थान और विद्यालय / महाविद्यालय / शैक्षिक संस्थाएं। (iii) उपर (1) में उल्लिखित संस्थाओं के समान लोक
--	--	--

anup

		संस्थाएं लेकिन जो दर अनुसूची की एच वी - 1 उपभोक्ता श्रेणा में आती हों। (iv) उपर (2) में उल्लिखित संस्थाओं के समान निजी संस्थाएं लेकिन जो दर अनुसूची की एच वी-1 उपभोक्ता श्रेणी में आती हों
	"नेट मीटरिंग" का अर्थ है एक प्रणाली में ऊर्जा के मापन की व्यवस्था जिसके अंतर्गत मीटरयुक्त कृषि (एलएमवी-5 श्रेणी के अंतर्गत) या मीटरयुक्त आवासीय/घरेलू उपभोक्ता परिसर (एलएमवी 1 श्रेणी के अंतर्गत) में स्थापित छत पर सौर पीवी प्रणाली अधिशेष बिजली, यदि कोई हो, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली को ऑफ-सेट करने के बाद वितरण लाइसेंसधारी को लागू बिलिंग अवधि के दौरान प्रदान करती है	"नेट मीटरिंग" का अर्थ है एक प्रणाली में ऊर्जा के मापन की व्यवस्था जिसके अंतर्गत सक्षम उपभोक्ता के परिसर में (जैसा 2(ह) (iii) में दिया गया है) में स्थापित छत पर सौर पीवी प्रणाली अधिशेष बिजली, यदि कोई हो, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली को ऑफ-सेट करने के बाद वितरण लाइसेंसधारी को लागू बिलिंग अवधि के दौरान प्रदान करती है

आयोग के आदेश से,



शैलेन्द्र गौर,

सचिव